भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या - 4615

सोमवार, 22 जुलाई, 2019/31 आषाढ़, 1941 (शक)

ऋणग्रस्त राज्य

4615. श्री असीत कुमार माल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या भारत के कुछ राज्य विभिन्न कारणों से ऋणग्रस्त हैं;
(ख) यदि हां, तो ऋणग्रस्त राज्यों के नाम क्या हैं; और
(ग) इन राज्यों के दोनों ऋणों, मिश्रधन और ब्याज की राशि कितनी है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): चौदहवें वित्त आयोग ने 2015-20 की अपनी अधिनिर्णय अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट के पैरा 14.49 में टिप्पणी की है कि "सभी राज्यों के समेकित ऋण एवं घाटा संकेतक तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाई गई लक्ष्य निर्दिष्ट सीमाओं (थ्रैशहोल्ड) के भीतर हैं। तथापि, जब ऋण स्थायीत्वता को जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ऋण और राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतानों जैसे बहु संकेतक दृष्टिकोण से मापा जाता है तो राज्यों के राजकोषीय समेकन में भिन्नताएं पाई जाती है।" इसलिए चौदहवें वित्त आयोग ने किसी भी राज्य की पहचान ऋण ग्रस्त राज्य के तौर पर नहीं की है।

तथापि, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा प्रकाशित राज्य वित्त लेखाओं के अनुसार, मार्च, 2017 के अंत में बकाया ऋण (मूल और ब्याज दोनों) का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

22 जुलाई, 2019 के लिए पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 4615 के भाग (क से ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

बकाया ऋण का राज्य-वार ब्यौरा

(मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के अनुसार)

राज्य	राशि (करोड़ रुपए)
आंध्र प्रदेश	2,01,314
अरुणाचल प्रदेश	5,625
असम	43,981
बिहार	1,38,722
छत्तीसगढ़	43,431
गोवा	16,900
गुजरात	2,43,146
हरियाणा	1,46,371
हिमाचल प्रदेश	47,244
जम्मू और कश्मीर	62,207
झारखंड	66,827
कर्नाटक	2,11,071
केरल	1,89,769
मध्य प्रदेश	1,55,139
महाराष्ट्र	3,95,858
मणिपुर	8,808
मेघालय	8,984
मिजोरम	6,725
नगालैंड	9,557
ओडिशा	71,623
पंजाब	1,82,526
राजस्थान	2,55,002
सिक्किम	4,671
तमिलनाडु	2,83,394
तेलंगाना	1,34,738
त्रिपुरा	11,259
उत्तर प्रदेश	4,14,455
उत्तराखंड	44,583
पश्चिम बंगाल	3,37,682
जोड़	**37,41,612**

स्रोत: सीएजी द्वारा प्रकाशित संबंधित राज्य वित्त लेखाओं का विवरण सं. 6

*****